

# ‘पुनर्नवा नवलेखन पुरस्कार’ के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित

अंतिम तिथि : 31 जनवरी 2022

म.प्र. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के शुभेच्छु तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी श्री पी.पी. अग्रवाल ( अब स्मृति शेष ) ने बी.आर.एम.पी. सेवा न्यास (ट्रस्ट), भोपाल के माध्यम से अपनी पत्नी श्रीमती माधुरी अग्रवाल-जो हिन्दी साहित्य की एक गंभीर अध्येता थीं, की स्मृति में मध्यप्रदेश के युवा लेखकों के लिए नवलेखन पुरस्कार स्थापित किया और इससे संबंधित समस्त कार्रवाईयों के लिए उन्होंने ‘सम्मेलन’ को अधिकृत किया।

यह पुरस्कार ‘माधुरी अग्रवाल स्मृति’ ‘पुनर्नवा’ पुरस्कार के नाम से जाना जाता है तथा इसकी नियमावली निम्नानुसार है:

1. मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन भोपाल के तत्वावधान में वर्ष 2021 के लिए 1. कविता, 2. कहानी/उपन्यास, 3. गीत-गज़ल तथा 4. गद्येतर विधायें- यथा नाटक, निबंध, संस्मरण, आलोचना आदि के लिए चार रचनाकारों को यह पुरस्कार दिये जायेंगे। प्रत्येक पुरस्कार की राशि रु. 3100/- होगी।
2. प्रविष्टि के रूप में लेखक को विगत तीन कैलेण्डर वर्षों में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक अथवा विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाओं की कतरनें भेजना होंगी।
3. लेखक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, या उसका जन्म मध्यप्रदेश में हुआ हो या वह विगत 10 वर्षों से लगातार मध्यप्रदेश में निवास कर रहा हो। प्रविष्टि के साथ इस आशय के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. इस वर्ष के पुरस्कारों के लिए लेखक की उम्र 31 दिसंबर 2021 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति कृपया अपनी प्रविष्टि के साथ संलग्न करें।
5. एक उच्च स्तरीय मूल्यांकन समिति समस्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेगी और उपलिखित विधाओं के लिए अलग-अलग नाम संस्तुत करेगी।
6. यदि मूल्यांकन समिति को कोई प्रविष्टि/कृति पुरस्कार योग्य नहीं प्रतीत होती है तो पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।
7. जिन लेखकों को ‘सम्मेलन’ का वागीश्वरी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, वे इस पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार ‘पुनर्नवा’ पुरस्कार के आवेदक भी एक ही वर्ष में वागीश्वरी पुरस्कारों में प्रविष्टि नहीं दे सकेंगे। प्रविष्टि दोनों में से किसी एक ही पुरस्कार के लिए भेजी जा सकती है। तथापि ‘सम्मेलन’ की प्रबंधकारिणी समिति को यह अधिकार होगा, कि वह वागीश्वरी पुरस्कार के लिए भेजी गयी किसी ऐसी

प्रविष्टि को- जो यहां उल्लेखित अहर्ताएं पूरी करती हो, को नवलेखन पुरस्कार के लिए अनुशंसित कर दे।

8. वरिष्ठ साहित्यकार, प्रकाशक या लेखक स्वयं विस्तृत परिचय और अनुशंसित पुस्तक की पाँच प्रतियों अथवा प्रकाशित रचनाओं की कतरनों या प्रतिष्ठित वेबसाइट्स और ब्लॉग्स पर प्रकाशित रचनाओं के स्क्रीन शॉट्स की पांच-पांच छाया प्रतियों के साथ प्रविष्टि इस प्रकार भेजें, कि वह दि. 31 जनवरी 2022 तक मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन को प्राप्त हो जाए।

9. 'पुनर्नवा' पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली पुस्तक की 5 (पांच) अतिरिक्त प्रतियां लेखक द्वारा 'सम्मेलन' को उपलब्ध करवानी होंगी। 'सम्मेलन' अपनी इच्छानुसार इन प्रतियों के उपयोग के लिए स्वतंत्र होगा।

10. 'पुनर्नवा' पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक लेखक के लिए यह आवश्यक होगा, कि वह पहले प्रकाशित अपनी प्रत्येक पुस्तक की कम से कम एक प्रति "सम्मेलन" को उपलब्ध करवाए।

11. यह भी आवश्यक होगा कि 'पुनर्नवा' पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक इस पुरस्कार का उल्लेख भविष्य में प्रकाशित होने वाली सभी पुस्तकों में करें।

12. किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश या पक्ष प्रवर्तन अयोग्यता मानी जाएगी और ऐसी प्रविष्टि को तत्काल अमान्य कर दिया जाएगा।

13. पुरस्कार के संबंध में मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संबंध में 'सम्मेलन' से किसी प्रकार का संवाद या पत्राचार नहीं किया जा सकेगा।

14. पुरस्कार हेतु मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य भाग लेने हेतु पात्र नहीं हैं।

15. मूल्यांकन समिति द्वारा पुरस्कार हेतु संस्तुत किए गए रचनाकारों को 'सम्मेलन' के वार्षिक अलंकरण समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा।

16. 'पुनर्नवा' पुरस्कार के संबंध में अन्य शर्तें वागीश्वरी पुरस्कार की शर्तों के अनुसार होंगी।

प्रविष्टियाँ भेजना का पता :

साहित्य मंत्री,  
म.प्र.हिंदी साहित्य सम्मेलन,  
मायाराम सुरजन स्मृति भवन,  
पी.एण्ड टी.चौराहा,शास्त्री नगर,  
भोपाल-462003  
फ़ोन :0755-2773290